न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू.अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 108/2020
RCMS NO. : 2020/00175

–: प्रार्थीगण :–

1. अमराराम पुत्र पोकरराम जाति जाट निवासी डिगरना तहसील जैतारण जिला पाली।

बनाम

–: अप्रार्थीगण :–

1. भूराराम, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फूलमाल तहसील जैतारण।
2. सुखाराम, शारीरिक शिक्षक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फूलमाल तहसील जैतारण।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू:. 02/09/2020

उपस्थितः– 1. श्री रामस्वरूप चौधरी, श्री किशोर चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 30/05/2022

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा फूलमाल पटवार हल्का फूलमाल मे प्रार्थी की खरीद सुदा एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि ख. नं. 543/448 रकबा 10 बीघा किस्म चाही चारम आई हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी का एक मात्र खातेदार काश्तकार प्रार्थी है एवं मौके पर प्रार्थी का ही कब्जा काश्त है तथा उपरोक्त वर्णित आराजी राजस्व रेकर्ड के नक्शे मे अलग से तरमीम है तथा मौके पर भी उक्त आराजी से अलग से बंटी हुई है जिसके चारो तरफ मांठे कायम है। नकल जमाबन्दी व नक्शा ट्रेश प्रार्थनापत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थनापत्र का एक आवश्यक भाग माना जाये। उपरोक्त वर्णित आराजी प्रार्थी ने तेजाराम पुत्र भवरलाल जाति कुमावत निवासी खिनावडी से जरिये रजिस्टर्ड बेचान के खरीद की तथा खरीद करने के पश्चात तेजाराम ने प्रार्थी को मौके पर कब्जा सुपुर्द किया तब से लेकर आज दिन तक प्रार्थी निर्विवाद रूप से उपरोक्त वर्णित आराजी पर काश्त करता चला आ रहा है। परन्तु अप्रार्थीगण जो कि बिना किसी हक अधिकार के प्रार्थी की जमीन को अपने विद्यालय के खेल मैदान की भूमि मानकर उसकी मांठे तोडकर दखलन्दाजी करना शुरू कर दिया तथा 05 बीघा भूमि पर कब्जा करने की भी कोशिश की तब प्रार्थी ने राजस्व रेकर्ड की नकले व नक्शा बताकर अप्रार्थीगण को कहा कि उपरोक्त आराजी प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि है तथा राजस्व रेकर्ड में अलग से तरमीम है परन्तु अप्रार्थीगण नही माने एवं गांव के कुछ लोगो के साथ मिलकर [illegible] सीमा को लेकर विवाद करने लग गये एवं जो मांठे मौके पर कायम थी [illegible] भी बिखेरने लग गये तब प्रार्थी के पास अन्य कोई विकल्प शेष [illegible] प्रार्थनापत्र प्रार्थी की और से विरुद्ध अप्रार्थीगण के पेश है। अप्रार्थीगण के स्कूल के [illegible]ल मैदान की भूमि खसरा नम्बर 448/488 रकबा 5 बीघा किस्म गै.मु. खेल मैदान है जो राजस्व रेकर्ड में अलग से इन्द्राज है एवं राजस्व रेकर्ड के नक्शे में भी अलग से तरमीम है इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:02:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,

...र प्रार्थी की खातेदारी एवं अप्रार्थीगण के खेल मैदान की भूमियां न तो आस पास
...है और नही उनका रकबा समान है और न ही एक खसरे का भाग है परन्तु
...भी अप्रार्थीगण गांव के कुछ लोगो की सिखावट व बहकावट में आकर जबरदस्ती
...को लेकर विवाद करने लग गये एवं प्रार्थी की भूमि पर अपना हक जताने लग
...तब प्रार्थी ने दिनांक 26/08/2020 को अपने अधिवक्ता के मार्फत कानूनी
...भी दिया परन्तु फिर भी अप्रार्थीगण अपनी हरकतो से बाज नही आये एवं
...स्ती सीमा विवाद कर रहे है एवं प्रार्थी की भूमि को उनके स्कूल के खेल मैदान
...भूमि बताकर जबरदस्ती दखलन्दाजी करने पर उतारू हो गये तब प्रार्थी ने दिनांक
...08/2020 को पुलिस थाना जैतारण मे एक रिपोर्ट भी पेश की नकल कानूनी
...व रिपोर्ट प्रार्थनापत्र के साथ पेश है। प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की
...भूमि जो राजस्व रेकर्ड में अलग से इन्द्राज है फिर भी अप्रार्थीगण गैरकानूनी
...से विधिविरूद्ध तरीके से पिछले काफी दिनो से सीमा को लेकर विवाद कर रहे है
...प्रार्थी की कृषि भूमि के चारो और कायम मांठो को बिखेरकर के अपना हक जता
...है जबकि प्रार्थी की कृषि भूमि ख.नं. 543/448 का टाईटल स्पष्ट रूप से प्रार्थी
...पास है एवं प्रार्थी का सेटल पजेशन है। परन्तु अप्रार्थीगण नियत विरूद्ध कानून को
...में लेकर के इस तरह का गैरकानूनी कृत्य कर सीमा विवाद खड़ा कर दिया
...लिए प्रार्थी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थनापत्र विरूद्ध
...प्रार्थीगण के पेश है। दिनांक 26/08/2020 को व दिनांक 27/08/2020 को
...प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की कब्जे काश्त की कृषि भूमि की सीमा को लेकर विवाद
...रने एवं मौके पर मांठे वगैरा बिखेरने पर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को राजस्व रेकर्ड
...नकले दिखाने एवं उनको समझाने पर भी नही मानने पर प्रार्थी को उक्त
...र्थनापत्र पेश करना पड़ा जो श्रीमान् के श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार मे है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए
...मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 तथा 2 के द्वारा वकालतनामा पेश
...िया जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 की ओर से जवाब
...र्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित
...सरा नम्बर 543/448 रकबा 10 बीघा की भूमि राजस्व रेकर्ड में अवश्य दर्ज है।
...किन प्रार्थी ने उक्त भूमि को राजस्व रेकर्ड में गलत तरमीम करवाया है। जिस
...स्थान पर प्रार्थी ने अपनी भूमि तरमीम होना बताया है। उक्त स्थान वास्तव में
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फुलमाल का खेल मैदान है जहां पर बच्चो के
खेलने के उपकरण लगे हुये है। साथ ही विद्यालय स्टाफ एवं ग्रामवासीयो द्वारा इस
खेल मैदान में कई पोधे भी लगाये हुये है। तथा खेल मैदान के चारो तरफ तारबन्दी
की हुई है। उक्त खेल मैदान पिछले 20 वर्षो से है। उसके बावजूद भी राजस्व
अधिकारीयो ने विद्यालय के खेल मैदान वाले स्थल पर प्रार्थी की भूमि होना गलत
बताया है। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद [illegible] अस्वीकार है। प्रार्थना
पत्र के पद संख्या 02 में वर्णित [illegible] व बेबुनियाद होने से
अस्वीकार है। मौके पर राजकीय उच्च [illegible] स्थित होने
से इस स्थल पर तेजाराम कुमावत का कभी भी कोई कब्जा व हक अधिकार नही
रहा था। न ही मौके पर तेजाराम या प्रार्थी ने कोई काश्त की है। बल्कि मौके पर
विद्यालय का खेल मैदान है जहां पर वर्षो पूर्व पेड़ पोधे व खेल उपकरण लगाये हुये

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:02:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला पाली

प्रार्थी ने खेल मैदान के स्थल पर अपनी भूमि होना बताते हुये गलत तरमीम [illegible]यी है। एवं इसी गलत तरमीम के आधार पर अदालत श्रीमान के समक्ष यह [illegible]धार कार्यवाही पेश की है जो कतई गलत होने से अस्वीकार है। उक्त तथ्यों के [illegible]वा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 में [illegible] व लगाये गये अरोप पूर्णतय असत्य झूठे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। [illegible]र्थी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पदस्थापित है तथा इस विद्यालय का [illegible] मैदान राजकीय सम्पति है। जिसमे अप्रार्थीगण का कोई व्यक्ति हित नही है। [illegible] ने खेल मैदान के स्थल पर अपनी गलत तरमीम करवायी है। तत्पश्चात मौके [illegible]स्थित विद्यालय मैदान पर जबरदस्ती कब्जा करने लगा। तब ग्रामवासीयो व [illegible]लय कार्मिको ने ऐतराज किया था। इस प्रकार से जवाब देहन्दागण का इस [illegible]लय मैदान पर कोई व्यक्तिगत हित नहीं होकर पदीय हैसियत में कार्य करे रहे है [illegible] प्रकार से जवाब देहन्दागण ने प्रार्थी पक्ष से न तो कोई विवाद किया न ही [illegible]द होने का कोई अंदेशा है। दिनांक 26.08.2020 का उल्लेख प्रार्थी ने यह [illegible]र्यवाही करने की मंशा से झूठा किया है। इस प्रकार से इस प्रकरण में वर्णित [illegible]सार नाप चौप बाबत कोई विवाद नहीं है। तथा प्रार्थी इस प्रकरण में वर्णित स्थल [illegible] आउट ऑफ पजेशन है। इसलिये धारा 128 एलआरएक्ट के प्रावधान लागू नहीं [illegible] हैं। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र [illegible] पद संख्या 04 में वर्णित तथ्य गलत झूठे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है । [illegible]र्थना पत्र के पद संख्या 05 में क्षेत्राधिकार बाबत है जो काबिल गौर अदालत के [illegible] यह है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 06 में मालियत बाबत है जो काबिल गौर [illegible]दालत के है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 7 का जवाब देने की आवश्यकता नही है।

पत्रावली एवं संलग्न राजस्व अभिलेख का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। [illegible]करण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन् [illegible]म्नानुसार है–

[illegible] प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 [illegible]जस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम फुलमाल [illegible]हसील जैतारण में प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ख. नं. 543/448 रकबा 10 [illegible]घा किस्म चाही चारम स्थित है, जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त है। अप्रार्थीगण के [illegible]कूल के खेल मैदान की भूमि के खसरा नम्बर 448/488 रकबा 5 बीघा किस्म गै. [illegible] खेल मैदान है जो राजस्व रेकर्ड में अलग से इन्द्राज है एवं राजस्व रेकर्ड के [illegible]नक्शे में भी अलग से तरमीम है। प्रार्थी की भूमि राजस्व रेकर्ड के नक्शे में अलग [illegible] तरमीम है तथा मौके पर अलग बंटी हुई है लेकिन अप्रार्थीगण बिना किसी हक [illegible]एवं अधिकार के प्रार्थी की जमीन में दखलन्दाजी करना शुरू कर दिया तथा सीमाज्ञान [illegible] मांट को लेकर अप्रार्थीगण विवाद करते है। अप्रार्थीगण सीमाज्ञान करवाने के लिए [illegible]भी तैयार नही है। अतः प्रार्थी की खातेदारी भूमि [illegible] संख्या 543/448 का [illegible]सीमाज्ञान करवाया जाकर नाप चौप [illegible] [illegible]ढी करवायी जाये, तथा [illegible]अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर विवाद कर[illegible] [illegible]पालना जरिए पुलिस [illegible]इमदाद करवायी जाये।

[illegible]2. अप्रार्थी संख्या 1 तथा 2 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि [illegible]खसरा संख्या 543/448 रकबा 10–00 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज अवश्य है

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:02:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, [illegible]

...न राजस्व रेकर्ड में गलत तरमीम है बल्कि इस स्थान पर राजकीय उच्च ...यमिक विद्यालय फुलमाल का खेल मैदान है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीपक्ष से कोई ...द नही किया है तथा न ही किसी प्रकार का कोई विवाद है। प्रार्थी वर्णित स्थल आउट ऑफ पजेशन है। अतः प्रार्थना पत्र काबिल खारिज हो।

...प्रकरण में पटवारी फुलमाल व भू अभिलेख निरीक्षक जैतारण से रिकॉर्ड एवं मौका तथ्यात्मक जांच प्राप्त की गई जिसके अनुसार ग्राम फुलमाल की खसरा संख्या ...3/448 रकबा 10-00 किस्म चाही चारम खातेदार अमराराम पुत्र पोकरराम के ...म दर्ज तथा तरमीमशुदा है, जो कि तेजाराम पुत्र भंवरराम कुमावत से दिनांक 09. ...2019 को पंजीकृत विक्रय विलेख से क्रय की गई। राजकीय उच्च माध्यमिक ...ालय फुलमाल को खेल मैदान हेतू आंवटित भूमि का खसरा संख्या 448/488 ...बा 05-00 बीघा है जो राजस्व रेकर्ड में अलग से दर्ज व नक्शे में अलग से ...मीमशुदा है। उक्त आवंटित भूमि मुल खसरा संख्या 448 का भाग है। एवं प्रार्थी ... खातेदारी भूमि से लगभग 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। स्कूल प्रशासन द्वारा ...दिनांक तक उक्त आवंटित खेल मैदान का कब्जा नही लिया गया है। खसरा संख्या ...3/448 में लगभग 05-00 बीघा पर स्कूल प्रशासन द्वारा कब्जा कर तारबंदी ...रवाई हुई है।

... भू अभिलेख जमाबंदी एवं नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी की खातेदारी ...मि जो कि प्रार्थी के नाम दर्ज एवं तरमीमशुदा है। तथा अप्रार्थी विद्यालय को ...वंटित खेल मैदान की भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि से लगभग 400 मीटर दूरी ...र स्थित खसरा संख्या 448/488 है जिसका रकबा 05-00 बीघा है जो कि ...रमीमशुदा है। चूंकि राजकीय कार्यालय को भूमि का आवंटन हेतू प्रेषित प्रस्ताव के ...नुरुप सक्षम स्तर से किया जाकर भू अभिलेख में अमलदरामद एवं तरमीम किया ...ाता है। तथा तत्पश्चात संबंधित आवंटी को क़ब्ज़ा सुपुर्द किया जाता है। हस्तगत ...करण में प्राप्त भू अभिलेख निरीक्षक जैतारण के जांच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि ...बंधित विद्यालय प्रशासन द्वारा बिना आवंटन के गलत स्थान पर स्वेच्छा से कब्जा ...किया गया है। जबकि विद्यालय को खेल मैदान हेतू आवंटित भूमि जो तरमीमशुदा है ...का जानबूझकर कब्जा प्राप्त नही किया गया है। साथ ही यदि संबंधित विद्यालय को ...यह लगता है कि उसको आवंटित भूमि की तरमीम गलत की हुई है तो उसे शुद्ध ...करवाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए था जो कि नही किया गया है।

5. चूंकि हस्तगत प्रकरण में विवाद के समाधान के लिए यह आवश्यक है कि संबंधित ...हल्का पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक के यदि तरमीम को लेकर कोई त्रुटि संज्ञान में आती है या किसी पक्षकार द्वारा संज्ञान में लाया जाये तो उसकी जांच कर यदि त्रुटि नही पायी जाती है तो उभयपक्ष की भू अभिलेख में अभिलिखित भूमि जिसके ...की खसरा संख्या, रकबा एवं किस्म भिन्न-भिन्न है ... जो भूमियां परस्पर 400 मीटर की दूरी पर स्थित है, का मौका ए... ...सीमाज्ञान करवाते हुए मौके पर सीमाचिह्न संबंधित के हर्जे खर्चे से रोपित करवाना प्रकरण में विद्यमान विवाद के सम्यक निस्तारण के लिए आवश्यक उचित एवं विधिसंगत होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:02:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी र्गत धारा 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 भलीभांती साबित होनें सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, जैतारण को निर्देश दिए ते हैं कि ग्राम- फुलमाल तहसील-जैतारण, जिला-पाली में स्थित प्रार्थी की राजी ख. नं. 543/448 रकबा 10 बीघा किस्म चाही चारम एवं अप्रार्थी राजकीय थमिक विद्यालय फुलमाल के खेल मैदान की भूमि के खसरा संख्या 448/488 कबा 05-00 बीघा किस्म गै.मु. खेल मैदान की भू नक्शा में की गई तरमीम की च करते हुए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में विहित किया का अनुपालन करते हुए मुताबिक जमाबंदी एवं भू नक्शे मौके पर नाप चौप र सीमाज्ञान करें, संबंधित के हर्जे खर्चे से उक्त खसरा संख्याओं की आराजी की मा पर सीमा-विभाजक रोपित करावें। उभय पक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि सक्षम धिकारी द्वारा राजकीय संस्थान को आवंटित भूमि का तत्काल कब्जा प्राप्त करते हुए से संरक्षित एवं सुरक्षित रखने हेतू समुचित कार्यवाही करे। तहसीलदार, जैतारण को लनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम कर, दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक **30/05/2022** को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:02:35 IST
Reason: SelfAttested